



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.08.2024

विषय:- शराब की अवैध बिक्री करते हुआ अभियुक्त थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से नगदी सहित देशी व अंग्रेजी शराब बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा मादक पदार्थों की अवैध बिक्री हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा रात्रिगश्त/ चेकिंग के दौरान अभियुक्त कन्हैया गुप्ता पुत्र सुभाष गुप्ता निवासी बेटावर कला थाना जमनिया जनपद गाजीपुर को आज दिनांक-23.08.2024 को समय करीब 00.50 बजे दफ्फलपुर चौराहा थाना रोहनिया, वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 200 ML की 45 शीशी देशी शराब, 180 ML की 08 शीशी व 375 ML की 4 शीशी अंग्रेजी शराब तथा शराब की बिक्री का 200/- रुपये नगद बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0243/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे पास जो झोला है उसमें देशी शराब की शीशियाँ हैं जो मैं देशी शराब के ठेके की दुकान से लेकर बेचने के लिए बैठा था ताकि दुकान बन्द होने के बाद भी शराब बेच सकूँ तथा कुछ पैसा कमा सकूँ, इस तरह शराब की बिक्री से जो धन मिलता है, मैं अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, लालच में गलती कर दिया हूँ जो पैसा मेरे पास मिला है शराब की बिक्री से प्राप्त धन है। अभी बेचना शुरू ही किया था कि आप लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कन्हैया गुप्ता पुत्र सुभाष गुप्ता निवासी बेटावर कला थाना जमनिया जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय - दफ्फलपुर चौराहा थाना रोहनिया, वाराणसी दिनांक 23.08.24 को समय-00.50 बजे।

बरामदगी का विवरण-

- 1- विंडीज लाइम देशी शराब 200 ML की 45 शीशी
- 2- रॉयल स्टैग अंग्रेजी शराब 375 ML की 02 शीशी तथा 180 ML की 04 शीशी
- 3- इम्पीरियल ब्लू अंग्रेजी शराब 375 ML की 02 शीशी तथा 180 ML की 04 शीशी

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 0243/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- उ0नि0 अनिल कुमार मिश्रा थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
- 2- हे0का0 अनुनेष सिंह थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
- 3- का0 अभिषेक पटेल थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।